



कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व पर पुनर्विचार

यह एडिटरियल 07/10/2022 को 'द हट्टि' में प्रकाशित "A plan for better CSR funds to boost rural livelihoods" लेख पर आधारित है। इसमें कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR) और ग्रामीण विकास के लिये इसकी क्षमता के बारे में चर्चा की गई है।

भारत जैसी विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में **कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (Corporate Social Responsibility- CSR)** को कॉर्पोरेट प्रोपकार के अंग के रूप में देखा जाता है जहाँ कॉर्पोरेशन या नगिम, सरकार की पहलों का समर्थन करते हुए सामाजिक विकास को आगे बढ़ाते हैं।

यहाँ भारतीय परंपरा के अनुरूप यह माना जाता है कि सामाजिक दायित्वों के निर्वहन में सक्रिय भूमिका नभाना हर कंपनी का नैतिक दायित्व है।

महात्मा गांधी द्वारा वर्ष 1909 में सर्वप्रथम सामाजिक-आर्थिक विकास में मदद करने के लिये ट्रस्टीशिप की अवधारणा प्रस्तुत की गई थी। 1940 के दशक तक आते वे मानने लगे थे कि ट्रस्टीशिप के सिद्धांत का अनुपालन सुनिश्चित कराने के लिये राज्य कानून का होना आवश्यक है।

भारत विश्व का पहला देश बना जिसने इस संबंध में कानून बनाया और **कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135** के तहत CSR गतिविधियों को अपनाने और CSR पहलों की अनिवार्य रूप से रपॉर्टिंग करने की व्यवस्था की। लेकिन मौजूदा CSR ढाँचे में पारदर्शिता, CSR गतिविधियों में सामुदायिक भागीदारी की कमी और समय पर ऑडिट के अभाव जैसी कुछ खामियाँ मौजूद हैं।

सतत विकास हासिल करने के लिये भारत को अपने CSR ढाँचे को सुव्यवस्थित करना चाहिये और साझा ज़िम्मेदारी के माध्यम से सामूहिक बेहतरी पर ध्यान केंद्रित करना चाहिये।

कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के दायरे में आने वाली कंपनियाँ:

- ऐसी कंपनी जिसका टर्नओवर कम से कम 1,000 करोड़ रुपए है, नविल मूल्य कम से कम 500 करोड़ रुपए है, या शुद्ध लाभ कम से कम 5 करोड़ रुपए है— कंपनी अधिनियम, 2013 के CSR प्रावधानों के दायरे में आती है।
- अधिनियम के तहत, ऐसी कंपनियों को एक कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व समिति का गठन करना होगा जो बोर्ड को एक कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व नीति की अनुशंसा करे और इसकी निगरानी करे।
- यह अधिनियम कंपनियों को CSR गतिविधियों पर पछिले तीन वर्षों के उनके औसत शुद्ध लाभ का 2% खर्च करने के लिये प्रोत्साहित करता है।

CSR श्रेणी के अंतर्गत शामिल गतिविधियाँ

- कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची VII के तहत निर्दिष्ट कुछ प्रमुख गतिविधियों में शामिल हैं:
 - **भूख, गरीबी एवं कुपोषण का उन्मूलन**, नविकरक स्वास्थ्य देखभाल और स्वच्छता सहित स्वास्थ्य देखभाल को बढ़ावा देना, स्वच्छता को बढ़ावा देने और सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराने के लिये केंद्र सरकार द्वारा स्थापित 'स्वच्छ भारत कोष' में योगदान देना।
 - शिक्षा को बढ़ावा देना, विशेष रूप से बच्चों, महिलाओं, बुजुर्गों और दवियांगजनों के लिये, जसिमें विशेष शिक्षा एवं रोजगार बढ़ाने वाले व्यावसायिक कौशल शामिल हैं, साथ ही आजीविका संवर्द्धन परियोजनाओं का कार्यान्वयन।
 - शिक्षा को बढ़ावा देना, जसिमें प्रगत और विशेष शिक्षा प्रदान करना, विशेष रूप से बच्चों, महिलाओं, बुजुर्गों और अलग-अलग सक्षम और आजीविका वृद्धि परियोजनाओं के बीच व्यावसायिक कौशल बढ़ाने वाली विशेष शिक्षा और रोजगार सहित शिक्षा को बढ़ावा देना।
 - **लैंगिक समानता** को बढ़ावा देना, महिलाओं को सशक्त बनाना, महिलाओं और अनार्थों के लिये घरों एवं छात्रावासों की स्थापना करना; वरिष्ठ नागरिकों के लिये वृद्धाश्रम, डे केयर सेंटर और ऐसी अन्य सुविधाएँ स्थापित करना तथा सामाजिक एवं आर्थिक रूप से पछिड़े समूहों द्वारा सामना की जाती असमानताओं को कम करने के उपाय करना।
 - पर्यावरणीय स्थिरता, पारिस्थितिक संतुलन, वनस्पतियों एवं जीवों की सुरक्षा, पशु कल्याण, कृषि विनिकी, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण और मृदा, वायु एवं जल की गुणवत्ता बनाए रखने में योगदान करना; गंगा नदी के कायाकल्प के लिये केंद्र सरकार द्वारा स्थापित स्वच्छ गंगा फंड में योगदान करना।

भारत में CSR गतिविधियों से संबंधित प्रमुख चुनौतियाँ

- **सरकार की सीमति होती भूमिका:** सरकारें कानूनों और वनियिमों के माध्यम से व्यवसायों में सामाजिक एवं पर्यावरणीय उद्देश्यों की पूरतकिया करती थीं।
 - सकिड्डते सरकारी संसाधनों और वनियिमों के पूरतअवशिवास के कारण स्वैच्छिक और गैर-नियामक पहलों की ओर आगे बढ़ा जा रहा है।
- **स्पष्ट CSR दशानरिदेशों की अनुपस्थिति:** भारत में CSR के बारे में कोई स्पष्ट सदिधांत एवं नरिदेश नहीं हैं और स्पष्ट वैधानिक दशानरिदेशों की कमी के कारण CSR का स्तर संगठनों के आकार पर नरिभर करता है—जसिका अर्थ है जतिना बड़ा संगठन, उतना बड़ा CSR कार्यक्रम।
 - यह छोटे संगठनों के लिये भी एक बाधा है जो इस कषेत्र में योगदान करना चाहते हैं।
- **CSR गतविधियों का दोहराव:** CSR परयोजनाओं के संबंध में स्थानीय एजेंसियों के बीच आम सहमति की कमी है।
 - आम सममति की इस कमी के परणामस्वरूप प्रायः कॉरपोरेट घरानों द्वारा उनके हस्तकषेप के कषेत्रों में गतविधियों के दोहराव की स्थिति बनती है और इसके परणामस्वरूप वषिय पर सहयोगी दृष्टिकोण बनाने के बजाय स्थानीय कार्यान्वयन एजेंसियों के बीच पूरतसिपर्द्धात्मक भावना पैदा होती है।
- **सुसंगठित NGOs की कमी:** भारत में वभिन्नि गैर-सरकारी संगठनों की मान्यता की कमी के कारण नगिमों के पास सीमति वकिल्प एवं लाभ उपलब्ध होते हैं और वे महज दृश्यता और ब्रांड पहचान हासलि करने के लिये NGOs को आंशिक रूप से धन पूरदान करते हैं, यह अनुभव नहीं करते कि CSR एक अधिक महत्त्वपूरण उद्देश्य रखता है।
 - इसके साथ ही, दूरदराज के और ग्रामीण इलाकों में सुसंगठित NGOs की कमी से समुदाय की वास्तविक आवश्यकताओं की पहचान करना और सफल CSR कार्यान्वयन सुनश्चिति करना कठनि हो जाता है।
- **समयबद्ध ऑडिट की कमी:** समयबद्ध ऑडिट की कमी के कारण कई भारतीय कंपनियों अपनी CSR गतविधियों और उनमें उपयोग किये गए धन के बारे में जानकारी का खुलासा नहीं करती हैं।
 - इसके परणामस्वरूप, ये कंपनियों अपनेपन की भावना पैदा करने और समाज से संलग्न होने में वफिल रहती हैं।

आगे की राह

- **नयिमति CSR अनुपालन:** कंपनियों को CSR अनुपालन की नयिमति समीक्षा करनी चाहिये और अधिक पेशेवर दृष्टिकोण अपनाने के उपाय करने चाहिये। उन्हें स्पष्ट उद्देश्य भी नरिधारति करने चाहिये और सभी हतिधारकों को इनके साथ संरेखति करना चाहिये।
 - उनके NGO भागीदारों को उनकी व्यावसायिक आवश्यकताओं से अवगत कराना भी उतना ही महत्त्वपूरण है।
- **सरकार की सकरयि भूमिका:** सरकारों को गैर-सरकारी संगठनों की अनुपलब्धता के मुद्दे को संबोधति करना चाहिये और समाज में CSR के महत्त्व के बारे में जागरूकता बढ़ानी चाहिये।
 - सरकार नरिदषिट रिपोर्टों से डेटा माइनगि के लिये आर्टफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्नगि टूलस का इस्तेमाल कर सकती है ताकि नयिमति ऑडिट कार्रवाइयों को पूरा कर सके।
- **अनुसंधान संस्थानों के साथ CSR को संबद्ध करना:** इसमें वहनीय और पुनर्रचकरण योग्य संवहनीय नरिमाण सामग्री को डिज़ाइन करने से लेकर उदार ताप एवं बजिली पूरबंधन परणालयों जैसे भारत-केंद्रति हरति वकिल्प वकिसति करने तक की गतविधियों शामिल होंगी।
 - इस तरह की परयोजनाओं को CSR फंडगि के माध्यम से और उच्च शकिषा संस्थानों के नेतृत्व में सकषम किया जा सकता है जो परयोगशाला स्तर से वास्तविक धरातल पर संक्रमण को साकार करने को गतपूरदान करेगा और अभनिव तरीकों से समुदायों की सेवा करेगा।
- **CSR के साथ SDGs को संयुक्त करना:** भारत द्वारा सतत वकिस लक्ष्यों (SDGs) को प्राथमकिता देने और हासलि करने पर गंभीर ध्यान के साथ नीतआयोग ने इसे राष्ट्रीय एजेंडे में पूरमुख बना दिया है। यह उपयुक्त समय है कि CSR और SDGs को संयुक्त भी किया जाए।
 - इस तरह, भारत हरति और सतत वकिस की ओर बढ़ते हुए CSR की जवाबदेही में सुधार ला सकता है।
- **एकीकृत CSR इंटरफेस:** कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा केंद्रीकृत एक राष्ट्रीय मंच की आवश्यकता है जहाँ सभी राज्य अपनी संभावति CSR-स्वीकार्य परयोजनाओं को सूचीबद्ध कर सकें ताकि कंपनियों यह नरिधारति कर सकें कि उनके CSR फंड का सबसे अधिक पूरभाव कहाँ केंद्रति होगा।
 - इंडिया इन्वेस्टमेंट ग्रुडि (IIG) में 'कॉरपोरेट सोशल रसिपॉन्सबिलिटी प्रोजेक्ट्स रिपॉजिटरी' ऐसे परयासों के लिये एक मार्गदर्शक के रूप में कार्य कर सकता है।
- **'End of Life' अवधारणाओं को CSR से पूरतस्थापति करना:** उत्पादों के लिये 'End of Life' अवधारणाओं को पूरौद्योगकियों और वनियिमों की सहायता से (जो पुनःपरयोज्यता और पुनर्रचकरण को सुगम बनाते हैं) CSR द्वारा पूरतस्थापति किया जाना चाहिये।
 - इस तरह, उत्पादों के जीवन चक्र को बढ़ाया जा सकता है, अपव्यय को कम किया जा सकता है और पूरदूषण में कमी लाई जा सकती है। इस क्रम में भारत एक चक्रीय अर्थव्यवस्था की ओर आगे बढ़ सकता है।
 - यह एक न्यायसंगत, मानवीय और समतामूलक वजिन को साकार करने का परयास हो सकता है जहाँ पूरत्येक कार्रवाई, चाहे वह कतिनी ही छोटी क्यों न हो, इस व्यापक संवहनीय वजिन से पूरति होगी।

अभ्यास पूरश्न: व्याख्या कीजिये कि कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व भारत को सतत वकिस लक्ष्यों को पूरपूत करने में कसि पूरकार मदद कर सकता है।

